न्यायालय नायब तहसीलदार भकरी मौलास (नागौर)

राजस्थान सरकार
जरिये पटवार हल्का - बरेव

बहक श्री कुपाराम
पुत्र श्री रामकरण
जाति मेघवाल नि. बरेव

मुकदमा नं. 36 /2018

राज. भू. राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 91

निर्णय दिनांक 24/9/18

प्रकरण का संक्षिप्त में सार निम्नवत है कि ग्राम बरेव खसरा नम्बर 510 रकबा 0.80 हैक्टर किस्म चाही 2 (राजकीय भूमि) पर संवत 2075 में श्री कुपाराम पुत्र श्री रामकरण जाति मेघवाल निवासी बरेव (जिसे आगे अप्रार्थी कहा गया है) द्वारा बाड़ लगाकर कर अतिक्रमण किये जाने पर पटवारी हल्का अर्न्तगत अप्रार्थी के विरूद्ध कार्यवाही किये जाने हेतु रिपोर्ट प्रस्तावित की।

पटवारी हलका द्वारा प्रस्तुत द्वारा प्रस्तुत अप्रार्थी के विरूद्ध प्रस्तावित रिपोर्ट के आधार पर प्रकरण दर्ज किया जाकर अप्रार्थी को राज. भू–राजस्व अधिनियम की धारा 91 के अर्न्तगत नोटिश जारी कर तलब किया गया। तलबी पर अप्रार्थी को नोटिस स्वयं से तामील शुदा प्राप्त हुआ। अप्रार्थी स्वयं उपस्थित होकर किसी भी प्रकार का जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। पटवारी हल्का द्वारा ग्राम बरेव ख.न. 510 रकबा 0.80 किस्म चाही 2 पर संवत 2074 में बिना विधिक अधिकार के अनाधिकृत नाजायज रूप से राजकीय भूमि पर बाड़ लगाकर कर अतिकमण किये जाने पर अप्रार्थी को अतिक्रमी घोषित किया जाता है।

अतः प्रकरण में आदेश दिये जाते हैं कि :–

(1) अतिक्रमी को आरजी राज से बेदखल किया जाकर कब्ज बहक सरकार लिया जावे।

(2) लगान दर रूपया 25 प्रति हैक्टर का 50 गुणा रूपया 1000/रु (रूपये हजार रुपये मात्र) शास्ति कायम की जाती है।

निर्णय की कियान्विती हेतु पटवारी हल्का बरेव भु. अभिलेख निरीक्षक बाराणी एवं तहसील राजस्व लेखाकार को पालनार्थ आदेश जारी किये जाये।

पत्रावली निर्णित शुमार होकर बाद तरतीब तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 24/9/18 का सरे इजलास सुनाया।

2018-19
[illegible] के पृष्ठ सं. 61
[illegible] 1000/– रु की
[illegible]

(हस्ताक्षर)
नायब तहसीलदार भकरी मौलास (नागौर)

Scanned by CamScanner